



दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

No. सी - 3912 /37-जी-9

उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उ० प्र० भू-स्थानिक ऑकड़ा केन्द्र का नेमी आदेश
संख्या- 07 /37-जी-9 दिनांक 26 -10-2016

1. एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-35034/3/2008-स्थापना (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर्वेक्षकों के संवर्ग में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से पी.बी.-2 रु 9300-34800 ग्रेड पे 5400 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पद	तृतीय एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
1	श्री बी०एस० असवाल,	अधिकारी सर्वेक्षक	01.04.2016

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।

3. उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालय अधीक्षक (लेखा) द्वारा किया जायेगा।

सनिहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2016-17 के लिये स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नाम डाला जायेगा।

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सी-5821/1902-MACP-III(OS) दिनांक 19.10.2016

2. एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-35034/3/2008-स्थापना (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर्वेक्षकों के संवर्ग में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से पी.बी.-2 रु 9300-34800 ग्रेड पे 4800 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पद	द्वितीय एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
1	श्री सुनील कुमार रतूडी,	अधिकारी सर्वेक्षक	26.07.2015

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।

3. उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालय अधीक्षक (लेखा) द्वारा किया जायेगा।

सनिहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2016-17 के लिये स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा समुचित लेखा वीरुष के नाम डाला जायेगा।


प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सी- 5898/1902-MACP-II (Sur./O.S.) दिनांक 20.10.2016

3. प्रशासन को मजबूत बनाना- 50-55 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के पुनरीक्षण मामलों पर पुनर्विचार।

इस केन्द्र के निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके द्वारा 50-55 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर सरकारी सेवा में बने रहना स्वीकार कर लिया है :-

1. श्री दिवाकर, हिंदी अनुवादक	-	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
2. श्री सतीश चन्द्रा, मानचित्रकार ग्रेड-।	-	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
3. श्रीमती लीला क्षेत्री, कार्यालय अधीक्षक	-	30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर
4. श्री बी.एन. मिश्रा, जमादार	-	30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर
5. श्री मुनी राम पुत्र श्री इन्दर मनी, खलासी	-	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
6. श्री गब्बर सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, खलासी	-	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
7. श्री सुरजा, खलासी	-	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
8. श्री धनेश्वर राम, खलासी	-	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
9. श्री चण्डी प्रसाद, खलासी	-	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
10. श्री रमेश डेनियल, खलासी	-	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
11. श्री चतरु सिंह पुत्र धनी सिंह, खलासी	-	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
12. श्री बालम सिंह पुत्र श्री बीर सिंह खलासी	-	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
13. श्री महेन्द्र पुत्र श्री गाजो, खलासी	-	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
14. श्रीमती सीता देवी पत्नि स्व: दया राम, खलासी	-	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
15. श्री कुन्दन सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, खलासी	-	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
16. श्री प्रभा रानी पत्नि स्व: जीत बहादुर, खलासी	-	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
17. श्री बीर सिंह रावत पुत्र श्री के.एस. रावत, ख0	-	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
18. श्री राम सहाय पुत्र स्व: उगन, खलासी	-	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
19. श्रीमती लीला देवी पत्नि स्व: मंसा राम, खलासी	-	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
20. श्री राम किशोर पुत्र श्री किशन लाल, गार्ड	-	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
21. श्री महेश चन्द पुत्र स्व: मामराज, गार्ड	-	30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर
22. श्री धनी राम पुत्र श्री नंद राम, सफाईकर्मी	-	30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर
23. श्री सुरेश कुमार, खलासी	-	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
24. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र मुकन्दी सिंह, खलासी	-	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सी- 5723/854-आर (उ.एवंप. जी.डी.सी.) दिनांक 17.10.2016


(आर0 के0 मीणा)
निदेशक



दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

No. सी - 3912 / 37-जी-9

उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उ० प्र० भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र का नेमी आदेश
संख्या- 07 / 37-जी-9 दिनांक 26 -10 -2016

1. एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-35034/3/2008-स्थापना (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर्वेक्षकों के संवर्ग में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से पी.बी.-2 रु 9300-34800 ग्रेड पे 5400 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पद	तृतीय एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
1	श्री बी०एस० असवाल,	अधिकारी सर्वेक्षक	01.04.2016

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।

3. उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालय अधीक्षक (लेखा) द्वारा किया जायेगा।

सनिहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2016-17 के लिये स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नाम डाला जायेगा।

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सी-5821/1902-MACP-III(OS) दिनांक 19.10.2016

2. एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-35034/3/2008-स्थापना (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर्वेक्षकों के संवर्ग में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से पी.बी.-2 रु 9300-34800 ग्रेड पे 4800 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पद	द्वितीय एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
1	श्री सुनील कुमार रतूडी,	अधिकारी सर्वेक्षक	26.07.2015